



अन्तिम डिकी मुकदमे इब्तादाई
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 97/2014

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. उदयपाल पुत्र आत्माराम | जाति जाट साकिन गोलुवाला निवादान तहसील |
| 2. सरोज पत्नी आत्माराम | पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ |

बनाम

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. रामप्रताप | पिसरान खेतपाल जाति जाट साकिन गोलुवाला निवादान एवं पक्का सारणा तहसील क्रमशः-पीलीबंगा एवं हनुमानगढ़ | |
| 2. रामकुमार | | |
| 3. काशीराम | | |
| 4. कृष्णलाल | | |
| 5. राज पाल पुत्र आत्माराम | जाति जाट साकिन गोलुवाला निवादान तहसील पीलीबंगा। | |
| 6. भागीरथ पुत्र पीथाराम | | |
| 7. रामरख पुत्र धन्नाराम | | |
| 8. रूकमा देवी पत्नी जोतराम | जाति जाट साकिन गोलुवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ | |
| 9. चन्द्र कैलाश | | पिसरान जोतराम |
| 10. राजदुलारी | | |
| 11. कविता | | |
| 12. सुप्रिया | | |
| 13. बंशीलाल | | |
| 14. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला गोलुवाला। | | |
| 15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा। | | |

दावाअन्तर्गत धारा 53 209 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादी की ओर से श्री संजय चाडक ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा प्रतिवादी संख्या 6 व. राज पेरोकार पीलीबंगा इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 645 दिनांक 29.08.24 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निम्न अनुसार खाता विभाजन कर अन्तिम डिकी किया जाता है रकम राज अलग कायम की जावे:-

1. राम कुमार-रामप्रताप-काशीराम-कृष्ण लाल पिसरान खेतपाल सरोज पत्नी आत्मा राम उदयपाल-राजपाल पिसरान आत्मा राम जाति जाट साकिन गोलुवाला निवादान-चक 27 जेआरके प.न. 16/248 मु.न. 22 किला न 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 प.न. 16/250 मु.न. 36 किला न. 14/084, 16-17/506, 24-25/506, प.न. 14/252 मु.न. 44 किला न. 4,5,6,7,14,15,16,17,24,25 की 2.530, 23/126 व 3 एचडीपी प.न. 13/253 मु.न. 15 किला न 21 ता 25 की 265 प.न. 14/253 मु.न. 14 किला न. 21/253 है.
2. कविता-चन्द्रकैलाश-राजदुलारी-सुप्रिया-बंशलाल पिसरान जोतराम रूकमा देवी पत्नी जोतराम जाति जाट निवासी गोलुवाला निवादन :-चक 3 एचडीपी के प.न. 14/253 मु.न. 14 किला न. 1 ता 20 व 22 ता 25 की कुल 6.072 है.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



3. मदनलाल-जगदीश-ताराचंद-दयाराम-बलराज पिसरान भागीरथ जाति जाट निवासी गोलूवाला निवादान:-चक 27 जेआरकेप.न. 14/252 मु.न. 44 किला न. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 22 की 3.669 है. व चक 36 एलएलडब्ल्यू के प.न. 20/235 मु.न. 41 किला न. 1 ता 15 की 3.795 है.
4. अंकिता पुत्री राय सिंह, आत्मा रामपुत्र भादरराम, देवीलाल, ओमप्रकाश पुत्र चेताराम, दलीप कुमार पुत्र गंगाजल, धर्मपाल पुत्र रामेश्वर, मनीराम पुत्र चेताराम, मांगीलाल पुत्र रामेश्वर लाल, माया पत्नी ओमप्रकाश, राजेन्द्र कुमार पुत्र गंगाजल, राजेश पुत्र रायसिंह, रामेश्वर पुत्र नानूराम, श्री राम पुत्र देवीलाल, शारदापुरी रायसिंह :-चक 27 जेआरकेप.न. 15/249 मु.न. 24 किला न. 21-22 की .506 है. प.न. 15/250 मु.न. 37 किला न. 1 ता 20 की 5.060 है. प.न. 14/248 मु.न. 36 किला न. 14/.169 व 15/.253 है.
5. इन्द्रा पत्नी राजकुमार हिस्सा 2113/2751 जाति जाट साकिन अयालकी शान्तुन पुत्र रामकुमार 638/2751 जाति जाट निवासी अयालकी खातेदार चक 16 एमओडी प.न. 33/269 मु.न. 69 किला न. 4/.221, 5-6-7/.759 है. 14 ता 18 ,24,25 की 1.771 है.
6. उदय पाल पुत्र आत्माराम 150/2246 जाति जाट कृष्ण लाल पुत्र खेतपाल 449/2246 काशीराम पुत्र खेतपाल 449/2246 राजपाल पुत्र आत्मा राम 150/246 रामकुमार पुत्र खेतपाल 449/2246 रामप्रताप पुत्र खेतपाल 449/2246 सरोज पत्नी आत्माराम 150/2246 जाति जाट साकिन गोलूवाला निवादान खातेदार रहन चक 16 एमओडी प.न. 33/269 मु.न. 69 किला न. 2/.253, 3/.253, 4/.032, 8-9/.506, 12-13/.506, 19/.253, 22/2/.190, 23/.253 कुल 2.246 है. अ.क. मय गैर मु.
7. उदय पाल पुत्र राम प्रताप 1/15 हि. कृष्णलाल पुत्र खेतपाल 1/5 हिस्सा काशीराम पुत्र खेतपाल 1/5 हिस्सा राजपाल पुत्र आत्माराम 1/15 हिस्सा रामकुमार पुत्र खेतपाल 1/5 हिस्सा रामप्रताप पुत्र खेतपाल 1/5 सरोज पत्नी आत्मा राम 1/15 हिस्सा जाति जाट साकिन गोलूवाला निवादान खातेदार रहन चक 16 एमओडी प.न. 32/269 मु.न. 68 किला न. 1-2-9-10-11-12-13-14 की 2.024 है. 17 ता 20 की 1.012 है. कुल 3.036 है. नहरी अ.क. मय गै.मु.

विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्ता अनुसार खाता विभाजन कर रकम राज अलग कायम की जावे उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजी राज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई सिगिन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथानहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 14/10/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3
(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड न्यायाधीश एवं
पदेन मुद्रा अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा